बहस वकिल वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में किये गये कथनों को दोहराया तथा वाद को डिकी करने का निवेदन किया। वकील वादी ने वादपत्र को वाद के पेराज के अनुसार डिक्री किये जाने में सहमति दौराने बहस व्यक्त की। मेरे द्वारा वादी के अभिकथनो तथा साक्ष्य के तौर पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी के वाद तथा प्रस्तुत दस्तावेजो से वादी के वाद की आंषिकतः ताईद होती है तथा किसी भी पक्षकार द्वारा वाद का विरोध नही किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है तथा तहसीलदार जायल को परफोर्मा पक्षकार के रूप में वाद पत्र पर संयोजित किया गया है। पक्षकारान द्वारा मौजा खाटु कला के खसरा नम्बर 1011 का बंट चाहा गया है जो कि पक्षकारान कि सहखातेदारी कि भूमि रहती आई है। पुश्तैनी भूमि में सभी काश्तकार अपने अपने बंट का विभाजन अलग करवा सकते है। वाद के पैरा संख्या 2 के बिन्दु क, ख, ग, घ, में सभी पक्षकार का अलग–अलग बंट अंकित किया गया है एवं उसी अनुसार पक्षकार द्वारा बंट चाहा गया है एवं किसी भी पक्षकार द्वारा इसका विरोध प्रकट नहीं किया गया है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्रि किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– : आदेश :–

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 हीरालाल के हक बंट कब्जा काश्त मौजा खाटु कलां का खेत खसरा नम्बर 1011 रकबा 12.3429 हैक्टेयर में से रकबा 3.0594 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार पूर्वी हिस्सा रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. वादी संख्या 2 श्रीराम के हक बंट कब्जा काश्त मौजा खाटु कलां का खेत खसरा नम्बर 1011 रकबा 12.3429 हैक्टेयर में से रकबा 3.0594 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार हीरालाल के चिपता ही पश्चिमि तरफ का हिस्सा रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
3. वादी संख्या 3 चेनाराम के हक बंट कब्जा काश्त मौजा खाटु कलां का खेत खसरा नम्बर 1011 रकबा 12.3429 हैक्टेयर में से रकबा 3.0594 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार श्रीराम के चिपता ही पश्चिमि तरफ का हिस्सा रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
4. प्रतिवादी संख्या 1 प्रेमाराम के हक बंट कब्जा काश्त मौजा खाटु कलां का खेत खसरा नम्बर 1011 रकबा 12.3429 हैक्टेयर में से रकबा 3.0594 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार पश्चिमि तरफ का हिस्सा रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
5. मौजा खाटु कलां के खसरा नम्बर 1011 रकबा 12.3429 हैक्टेयर में से रकबा 0.1052 हैक्टेयर भूमि रास्ते हेतु माफिक नजरी नक्शानुसार मार्क ए से बी तक राज. सरकार के पक्ष में घोषित कि जाती है।
6. वादी पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा डिक्रि आदेश का भाग रहेगा।
7. उक्त खसरान के बैक के रहन रहने कि स्थिति में रहन यथावत रहेगा। सूचित रहे।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि वे माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 29.12.23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner